मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः **27.03.2025**

“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर के नेतृत्व में अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दहेज हत्या के अभियोग में आरोपी को करायी गई 08 वर्ष 06 माह के कारावास एवं ₹ 5000/- के अर्थदण्ड की सजा —

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी “पीयूष मोर्डिया” के निर्देशन व पुलिस महानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर “आर.पी.सिंह” के नेतृत्व में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “सोमेन बर्मा” द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट, हत्या, डकैती, धर्म परिवर्तन, गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है। उक्त अभियान के क्रम में थाना अहरौरा पर दहेज हत्या से सम्बन्धित अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी। जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश,कक्ष संख्या-01 मीरजापुर द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त को 08 वर्ष 06 माह के कारावास एवं ₹ 5000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण—

दिनांकः20.06.2016 को थाना अहरौरा पर वादी सामा पुत्र पुन्नी निवासी सिरविट थाना करमा जनपद सोनभद्र द्वारा नामजद अभियुक्त के विरुद्ध वादी की बहन किरन को दहेज न मिलने के कारण उसके पति द्वारा जला कर मार देने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी गई। उक्त के सम्बन्ध में थाना अहरौरा पर मु0अ0सं0-424/2016 धारा 498ए, 304बी भादवि व ¾ डीपी एक्ट पंजीकृत कर विवेचना एवं साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर मा0न्यायालय/जेल भेजा गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “सोमेन बर्मा” द्वारा “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत उक्त घटना को प्राथमिकता देते हुए थाना अहरौरा पुलिस एवं मॉनीटरिंग/पैरवी सेल को निर्देशित करते हुए गुणवत्तापूर्ण तथा सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कराया गया। अभियोजन अधिकारी-एडीजीसी शिव प्रसाद सिंह व काशीनाथ दूबे, विवेचक-क्षेत्राधिकारी संजय चौधरी, कोर्ट मुहर्रिर-मुख्य आरक्षी राजनरायन यादव व आरक्षी पंकज कुमार तिवारी तथा पैरोकार-मुख्य आरक्षी पंचम यादव द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। जिसके फलस्वरूप मा0न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश,कक्ष संख्या-01 मीरजापुर-बलजोर सिंह द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त राजू उर्फ सुशील कुमार पुत्र लालचन्द्र निवासी मड़ईपुर थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर को 08 वर्ष 06 माह के कारावास एवं ₹ 5000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 02 माह का कारावास भुगतना होगा।